न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्‌ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **07/2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री एस.एस.राणावत निवासी हनुमान कॉलोनी, शास्त्री नगर भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशा.) जिला भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 27.02.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 27.01.2019 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 41 एफ 425234 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 20.12.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.12.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01.02.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के पत्रांक दिनांक 11.02.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 20.12.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में बिन्दु सं. 01 से 04 की सूचना राजस्व अनुभाग से पत्रांक/एफ 40–35 (6) आरए/2019 दिनांक 05.02.2019 जो अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर हमदस्त निःशुल्क प्राप्त कर पावती अंकित की गयी है। बिन्दु सं. 05 की सूचना की आवश्यकता नही होना अंकित किया है।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

2/3/19

(राजेन्द्र भट्‌ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा